International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

सतत् विकास लक्ष्य के अर्न्तगत मानवाधिकार तथा शिक्षा के अधिकार की प्रासंगिकता

सरिता, डॉ. प्रियदर्शिनी पुरोहित

शोधार्थी, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत
सहायक प्राध्यापक, राजनीतिक विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, भारत

सारांश

सतत् विकास एक ऐसा विकास है, जो हमारी भावी पीढियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सतत् विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इसका उद्देश्य सबके लिए समान, सुरक्षित, न्यायसंगत, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना हैं। मानव विकास रिपोर्ट (2021–2022) में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में से 132वें स्थान पर है।

भारत में मौलिक अधिकार ही मानवाधिकार है। जो दुनिया के सभी नागरिकों पर लागू होते है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, जन्म स्थान या लिंग के हों। भारत के संविधान में भाग–3 में मौलिक अधिकारों के रूप में अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारन्टी देता है : 'समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शैक्षिक उपकरण सबसे शक्तिशाली उपकरण है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21(।), 45, संशोधन 86 (2002) तथा अधिनियम (2009) आदि मे शामिल किया गया है। सतत् विकास लक्ष्य तथा शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य सभी लोगों को समान शिक्षा देना है लेकिन वास्तविक स्थिति से पता चलता है कि शैक्षिक प्रगति की राह में अनेक समस्याएं है, शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या ज्यादा होती हैं। वही दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या कम होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा सरकार के द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' को लाया गया हैं। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के स्तर, व्यक्तिगत शैक्षिक क्षमता तथा सामाजिक विकास को बढ़ाना हैं।

कीवर्ड :– मानवाधिकार, सतत् विकास लक्ष्य, शैक्षिक अधिकार, मौलिक अधिकार

परिचय

सतत् विकास पूरे विश्व की समृद्धि की ऐसी कुंजी है जो हमारी भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है। सतत् विकास शब्द को कई परिभाषाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया परन्तु जो सबसे सटीक परिमाण है वो ''ब्रुंडलैंड'' की रिपोर्ट द्वारा बताई गई है जो सतत् विकास को ''विकास जो भविष्य की पीढियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है'' के रूप में परिभाषित करता हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सम्मेलन में सतत् विकास लक्ष्य के एजेन्डे के लिए सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य को अपनाया गया था। सतत् विकास में पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 में ब्रुंडलैंड कमीशन को द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना था। एसडीजी से पहले एमडीजी (MDGs) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य को अपनाया गया जिसकी अवधि 2015 में समाप्त हो गई थी इसके अन्तर्गत 8 लक्ष्यों तथा 18 उद्देश्यों को शामिल किया गया था इनकी अवधि समाप्त होने के बाद सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का फैसला लिया गया।

17 लक्ष्य (सतत् विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य)

1. गरीबी की पूर्णतः समाप्ति
2. भुखमरी की समाप्ति
3. अच्छा स्वास्थ और जीवन स्तर
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
5. लैंगिक समानता
6. साफ पानी और स्वच्छता ऊर्जा

7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
8. अच्छा काम और आर्थिक विकास
9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास
10. असमानता में कमी
11. टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास
12. जिम्मेदारी के साथ उपयोग और उत्पादन
13. जलवायु परिवर्तन
14. पानी में जीवन
15. भूमि पर जीवन
16. शान्ति और न्याय को लिए संस्थान
17. लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी

सतत् विकास लक्ष्य की यह योजना 1 जनवरी 2016 में प्रवर्तन में आई।

सतत् विकास लक्ष्य की आवश्यकता क्यों हुई

सतत् विकास लक्ष्य की आवश्यकता बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, बेहतर शांति और समृद्ध जीवन बुनियादी ढाँचे का विकास समस्त आयु वर्ग के लिए स्वस्थ जीवन और अरोग्यता को बढ़ावा देने को लिए सतत् विकास लक्ष्य की आवश्यकता को महसूस किया गया था।

उद्देश्य

1 सतत् विकास लक्ष्य में शामिल शिक्षा के अधिकार का महत्व जानना ।

2 सतत् विकास लक्ष्य में मानवाधिकार की भूमिका को जानना ।

3 सतत् विकास लक्ष्य, मानवाधिकार तथा शिक्षा के अधिकार में सम्बन्ध को जानना ।

शोध पद्धति

यह लेख एकत्रित प्रासंगिक आँकड़ो, सरकारी रिपोर्ट पर आधारित है। इसके अलावा द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों तथा शोध लेखों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं।

सतत् विकास लक्ष्य एवं शिक्षा का अधिकार

सतत् विकास लक्ष्य के 4 लक्ष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शामिल किया गया हैं इसका उद्देश्य समान गुणों वाली शिक्षा, आजीवन सीखने की कला, अवसरों की समानता, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, न्यायसंगत शिक्षा को लाना था।

सतत् विकास लक्ष्य के माध्यम से देश के सभी लड़के तथा लड़कियों को निःशुल्क, समान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देना तथा बिना किसी भेदभाव के सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो प्रत्येक देश का उज्जवल भविष्य उस देश की अच्छी शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। किसी भी देश का विकसित होना इस देश की साक्षरता पर बहुत अधिक निर्भर करता है जिस प्रकार खाना खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है उसी प्रकार शिक्षा से मनुष्य जीवन को दिशा मिलती है। शिक्षा के बारे में एक विख्यात कहावत है कि ''शिक्षा स्वयं शक्ति होती हैं।"

भारत में मानवाधिकार तथा शिक्षा का अधिकार

भारतीय संविधान निर्माता तीन पश्चिमी क्रांतियों से बहुत प्रभावित थे – अमेरिकन, रूसी एवं फ्रेंच स्वतन्त्रता, भातृत्व और समता फ्रेंच क्रान्ति के मुख्य शब्द थे। अमेरिका का घोषणा–पत्र बहुत महत्वपूर्ण माना जाता हैं। कम्यूनिस्ट घोषणा–पत्र तथा रुसी क्रान्ति में व्यक्ति को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार मिले। 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया, जिसमें 30 लेख थे, जिनमें से अधिकांश रेने कैसिन द्वारा

तैयार किए गए थे, जिन्हें बाद में 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवाधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा सबसे उत्कृष्ट रही है और विश्व में मानव अधिकारों की अवधारणा के इतिहास में सबसे मौलिक मील का पत्थर। घोषणा के 30 लेख मिलकर एक व्यापक बयान बनाते हैं जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों को शामिल किया गया हैं। हर साल 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ''सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में मुक्त होगी। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आमतौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी।'' – अनुच्छेद (26)(1)

भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए है। मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग–3 में शामिल किया गया है (1) समानता का अधिकार (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि । मूल रूप से, संविधान में सात अधिकार थे उपरोक्त छह अधिकारों के अलावा संपत्ति का अधिकार भी बहुत सारी समस्याएँ पैदा की है इसलिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। हालांकि, इसे हटाने का मतलब यह नहीं है कि हमें संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार नहीं है। नागरिक अभी भी इस अधिकार का आनंद लेने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन अब यह एक कानूनी अधिकार है संपति के अधिकार का अब भाग–4 तथा अनुच्छेद 300 (A) में शामिल किया गया हैं ।

1. समानता का अधिकार

अनुच्छेद–14 : कानून के समक्ष समानता।

अनुच्छेद–15 : धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध।

अनुच्छेद–16 : अवसरों की समानता।

अनुच्छेद–17 : अस्पृश्यता का उन्मूलन।

अनुच्छेद–18 : उपाधियों का उन्मूलन।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार

अनुच्छेद–19 : भाषण अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार।

अनुच्छेद–20 : अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

अनुच्छेद–21 : जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतनत्रता की सुरक्षा।

अनुच्छेद–21(।) : प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद–22 : कुछ मामलो में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद–23 : मानव तस्करी और भिखारी और इसी तरह के अन्य प्रकार के बलात् श्रम निषिद्ध हैं। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

अनुच्छेद–24 : चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में करने के लिए रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।

4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार

अनुच्छेद–25 : अंतःकरण की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–26 : धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–27 : किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद–28 : धार्मिक शिक्षा निषिद्ध हैं।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद–29 : अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद–30 : शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसख्यकों का अधिकार।

अनुच्छेद–31 : (निरस्त 1)

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद–32 : संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई मौलिक अधिकार न होकर केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए है। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायलय की शरण ली

जा सकती है।

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद–21A : बच्चों का मुफ्त और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जिसे ओटीई को नाम से भी जाना जाता है इसको 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करता हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 14 देना हैं। अनुच्छेद–45 : छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का अधिकार। इस अनुच्छेद को राज्य में नीति–निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है। कि राज्य इस संविधान के लागू होने से दस साल की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार ने संशोधित अनुच्छेद–45 (86वें संविधान संशोधन (2002)) जिसको 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51(।) (मौलिक कर्त्तव्यों के तहत एक नया भाग

जोड़कर, माता–पिता या अभिभावक को छह से चौदह साल को बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार बनाना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षिक प्रगति

शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का होना अनिवार्य है। मनुष्य का सर्वांगीण तथा चहुँमुखी विकास करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का होना आवश्यक माना जाता हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति न हो तो एक नागरिक समाज, राज्य, देश तथा विश्व कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। समाज ही विकास कर सकता हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने को लिए शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता हैं। जैसे भारत में पहले गुरुकूल में शिक्षा दी जाती थी बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कान्वेंट और पब्लिक स्कूल खोल दिए गए।

डॉ. अल्टेकर के अनुसार – ''वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकित करती है।''

भारत में धीरे–धीरे शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होती रही हैं इसके लिए सरकार के द्वारा समय–2 पर शिक्षा नीति बनाई गई। पहली शिक्षा नीति 1968 में तथा दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई। 1986 शिक्षा नीति का संशोधित रूप 1992 को सामने आया। इन नीतियों के द्वारा शैक्षिक प्रगति को ओर बढ़ावा मिला। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' को लाया गया है इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य एक कुशल शिक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत क्षमता, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कुशलता का विकास, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाया गया हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चार स्तम्भों पर आधारित है इक्विटी, क्वालिटी, जवाबदेहता और एक्सेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 5+3+3+4 की संरचना के अनुसार तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य

1. देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना।

2. शिक्षा को शिक्षार्थी केन्द्रित बनाना।
3. शिक्षा संवाद, अनुभव, खोज तथा जिज्ञासा के अनुसार हो।
4. शिक्षा लचीली हो।
5. विधार्थी की समझने की क्षमता का विकास हो।
6. शिक्षा बुनियादी क्षमतायों के अनुसार हो।
7. शिक्षा तार्किक और समस्या–समाधान सम्बन्धी होनी चाहिए।
8. शिक्षा सामाजिक, भावात्मक तथा नैतिक रूप से व्यक्ति का विकास करने वाली होनी चाहिए।

शैक्षिक प्रगति तथा सरकार

शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, समवत् विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान खोले जा रहे है तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ भी चलाई जा रही है।

समस्याएँ

सतत् विकास लक्ष्य, शिक्षा का अधिकार तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन सभी का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान रूप से शिक्षा देना हैं परन्तु शैक्षिक प्रगति की वास्तविक स्थिति की राह में अनेक चुनौतियाँ तथा समस्याएँ हैं अगर देखा जाय तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मे शिक्षा का स्तर अलग–2 हैं।

शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा होती हैं। शहरी क्षेत्रों में विकास, जनसंख्या का स्तर अधिक हैं।

निष्कर्ष

सतत् विकास लक्ष्य में भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना तथा वर्तमान की आवश्यकतों को सम्भालना हैं ।सतत् विकास लक्ष्य में शिक्षा के अधिकार को एक गुणवतापूर्ण शिक्षा में बदलना है जिसके द्वारा लोगो तक गुणों से भरपूर

शिक्षा का विस्तार होगाा तथा क्योंकि शिक्षा मानवाधिकार का एक भाग है इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में मिल रहा है ।

संदर्भ

1. हलदर उज्जवल कुमार. (2018). भारत मानवाधिकार और शिक्षा का अधिकार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिक्ट रिव्यू, 5, 2183–2186.
2. त्रिपाठी, डॉ. टी.पी. (2001). मानव अधिकार. इलाहाबाद : इलाहाबाद लॉ ऐजेन्सी पब्लिकेशन्स।
3. सुरेश, डॉ. देवथ. (2019), भारत में मानवाधिकार. दिल्ली : आर्थव पब्लिकेशन्स।
4. सिन्हा, डी.पी. (1973), भारत का संविधान (रजत जयन्ती संस्करण). दिल्ली : भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली–6.
5. भारत का संविधान, सरकार। भारत के कानून और न्याय मंत्रालय।
6. घोष, एस एवं आर. मोहन. (2016). उभरते भारतीय समाज में शिक्षा चुनौतियाँ और मुद्दे, पीएच आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
7. महापत्रा, एन. (2012). मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में शिक्षा की भूमिका, ओडिशा समीक्षा, 26–30.
8. वार्षिक रिपोर्ट (2021–22) भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय।
9. चौधरी, सज्जन. (2021). भारत में सतत् विकास पर एक शोध, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का अंतराष्ट्रीय जर्नल, 8, 2277–3878.
10. लक्ष्मी, संथाना एवं चंद्रमोहन, समीदास. (2020). सतत् विकास, शोध संचार बुलेटिन, 10, 2229–3620.